अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

20
05.06.2023

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

सीमांकन पुनरीक्षण वाद सं० 21 आर० 15/2021–22

मुचीराम महतो पिता काशीनाथ महतो

निवासी छोटकोलमा, पो०–एदलहातु, थाना बुण्डू, जिला – रॉची

..... प्रार्थी

बनाम

शरत चन्द्र महतो पिता स्व० राज किशोर महतो

निवासी छोटकोलमा, पो०– एदलहातु, थाना बुण्डू, जिला – रांची

..... उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद में प्रार्थी ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू रॉची द्वारा सीमांकन अपील वाद सं० 01/2019 मे दिनांक 08.04.2021 को पारित आदेश के खिलाफ दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू रॉची ने प्रार्थी द्वारा दायर उपरोक्त अपील को यह अयोजित करते हुए खारिज कर दिया कि ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि अॅचल अमीन बुण्डू के द्वारा पुलिस बल एवं ग्रामीणों की उपस्थिति मे दोनो पक्षों के अमीनो के समक्ष भूमि की जॉच एवं सीमांकन हुआ एवं विवादित ढेला पेड़ प्लॉट सं० 701 मे पाया गया जो उत्तरवादी का प्लॉट है।

प्रार्थी द्वारा उपरोक्त सीमांकन अपील सं० 01/2019 अंचल अमीन, बुण्डू अंचल के द्वारा अंचल अधिकारी, बुण्डू को समर्पित प्रतिवेदन दिनांक– 06.08.2018 के विरुद्ध दायर किया गया था, जिसके तहत्त अंचल अमिन द्वारा मौजा बड़कोलमा, थाना बुण्डू, थाना सं० 58, खाता सं० 10, प्लॉट सं० 699, 700 रकबा 20 डी० भूमि से संबंधित सीमांकन प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बुण्डू को समर्पित किया गया है, जिसके द्वारा

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	-: 2 :-	
	उन्होने यह प्रतिवेदित किया है कि विवादित ढेला पेड प्लॉट सं० 701 मे पाया गया जो उत्तरवादी का प्लॉट है। प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार मौजा–बड़कोलमा, थाना–बुण्डू थाना सं0–58, के आर० एस० खाता सं० 10, प्लॉट सं०–699 एवं 700 रकबा 10 डी० भूमि प्रार्थी की सम्पत्ति है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर कुछ वृक्ष जैसे बांस, बेर और ढेला लगाये है एवं शांतिपूर्ण दखलकार चले आ रहे है लेकिन उपरोक्त उत्तरवादी द्वारा उपरोक्त ढेला का वृक्ष को बिना हक एवं अधिकार के अवैध रूप से काट दिया, जिसकी सूचना प्रार्थी ने बुण्डू थाना को दिया एवं इस संबंध मे बुण्डू थाना में वाद सं0–20/2018 दिनांक 08.06.2018 भा० द० वि० की धारा 379 के तहत्त दर्ज है। बुण्डू थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के उपरान्त अॅचलाधिकारी बुण्डू से उक्त भूमि का सीमांकन कर प्रतिवेदन की मॉग की गई, जिसके आलोक मे अॅचलाधिकारी के निर्देशानुसार अॅचल अमीन द्वारा सीमांकन हेतु तिथि निर्धारित किया गया, परन्तु निर्धारित तिथि को उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि अर्थात प्लॉट सं० 699 एवं 700 की नापी नही की गई एवं उत्तरवादी के साथ मिलकर गलत सीमांकन करते हुए प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत डेला पेड़ खेसरा 701 में अवस्थित है न कि खेसरा सं० 700 में। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक मे आपत्ति आवेदन दिनांक– 04.08.2018 को अंचल कार्यालय, बुण्डू में समर्पित किया गया, किंतु उनके उक्त आपत्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार प्रस्तुत सीमांकन पुनरीक्षण वाद संधारणीय नही है क्योंकि अॅचलाधिकारी बुण्डू द्वारा विधिवत सीमांकन वाद की कार्रवाई आरम्भ नही किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा उत्तरवादी के विरुद्ध ढ़ेला के पेड़ को काटने का आरोप लगाते हुए बुण्डू थाना मे वाद दायर किया गया था। उक्त आवेदन के आधार पर थाना द्वारा अॅचलाधिकारी से प्रतिवेदन की मॉग की गई, जिसके आलोक मे अॅचल अमीन द्वारा ग्रामिण जनता, पुलिस बल एवं उभय पक्ष के अमीनों की उपस्थिति मे नापी करने के उपरान्त अॅचलाधिकारी के समक्ष नापी प्रतिवेदन दाखिल करते हुए कहा गया कि	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

विवादित ढेला पेड प्लॉट सं० 701 मे पाया गया जो उत्तरवादी का प्लॉट है। अॅचल अमीन द्वारा किया गया सीमांकन कार्य पूर्ण रूप से सही है एवं इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले मे अॅचल कार्यालय मे विधिवत सीमांकन वाद संबंधी अभिलेख का संधारण नही हुआ है तथा प्रार्थी मात्र अॅचल अमीन के प्रतिवेदन के आधार पर सीमांकन अपील वाद सं० 01/2019 मे दिनांक 08.04.2021 एवं प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद दायर किया है, जो संधारणीय प्रतीत नही होता है।

अतः यह पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी को यह निदेश दिया जाता है कि वे अॅचलाधिकारी बुण्डू के समक्ष प्रश्नगत भूमि के सीमांकन हेतु वाद विधिवत आवेदन दायर करे।

इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बुण्डू एवं अॅचलाधिकारी बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.05 14:08:53 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:1855:24c8:988a:358d